**अपील सूचना अधिकार संख्या 105/2021 (GCMS 2021/161)(आईटीआई पोर्टल नं. 212231824946052) एवं 05/2022 (GCMS 2022/22)(आईटीआई पोर्टल नं. 21229497168563) सतवीर बडगुजर निवासी 11/69 मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर – 334004 (मोबाईल नम्बर 8387976415) बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**18.05.2022**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** सतवीर बडगुजर स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 21.07.2021 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी सतवीर बडगुजर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थी:

> चक 5 केएसडी (बी) के नक्शे में 30 फुट रास्ता दर्शाया गया है जो गांव से सीधा मुख्य सड़क की तरफ जाता है परन्तु मौके पर इस सरकारी भूमि का कब्जा किया जा चुका है जिससे आवागमन में काफी नुकसान होता है क्योंकि मौके पर रास्ता अतिक्रमण होने के कारण दूसरे रास्ते से जाना होता है जो ये आम नागरिक का नुकसान है मौके की अतिक्रमण की स्थिति के ... आपातकालीन स्थिति में हॉस्पिटल जाने के लिए ... का ... नुकसान होता है जो भविष्य में किसी का ... में ये स्थिति डा... सकती है। ये सरकारी रास्ता ज...श पुत्र बालूराम जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मेघवाल व शंकरराम पुत्र बीरबलराम जाति नायक के घर के बीच में से जाता है जिसका कब्जा शंकरराम ने किया हुआ है।

मैं भारत देश का नागरिक हूं भारत देश के संविधान अनुसार मेरा फर्ज व मेरा दायित्व बनता है कि भारत देश की सम्पत्ति का नुकसान होने से बचा सकूं।

अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि सरकारी जमीन का कब्जा (अतिक्रमण) हुआ है उसे जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए जिससे भारत देश की सम्पति का नुकसान न हो सके।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र 01.11.2021 से प्रार्थी के पत्र की छांयाप्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर को भिजवाते हुए, प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई है, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासांगिक पत्र के द्वारा प्रार्थी श्री सतवीर बुडगुजर पुत्र श्री रामकिशन निवासी सैक्टर 11 मकान नं 69, मुक्ताप्रसाद कॉलोनी, बीकानेर का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर जांच कर रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि शिकायत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना जिला कार्यालय को भेजी जा सके एवं प्रार्थी को सूचना दी जा सके। अतः आप स्वयं उक्त प्रकरण को व्यक्तिगत रूप से लेते हुए सूचना आज ही भिजवाना सुनिश्चित करें।

-sd-
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा** अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है वे प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें।**

**अतः उक्त विवेचन अनुसार** अपीलार्थी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:26:15 IST
Reason: SelfAttested